

‘जीएसटी अधिकारी छापे के दौरान जब्त करी गई नकदी की राशि जल्द से जल्द वापस लौटायें’

हाईकोर्ट ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं है कि वह छापे के दौरान परिसर में पाई गई नकदी जब्त कर सकते हैं

-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 28 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें यह मुख्य सवाल था कि “क्या जीएसटी अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान परिसर में पायी गयी नकदी को जब्त किया जा सकता है?” न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खण्डपीठ ने कई अन्य हाईकोर्ट के आदेशों को उद्धृत करते हुए नियम को स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी अधिकारियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे छापे के दौरान परिसर में मिली नकदी व वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त कर सकें। अदालत ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत जीएसटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निवास व कार्यालयों से जितनी भी नकदी जब्त की थी, उसे जल्द से जल्द लौटाया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए मुख्यतः अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पेश हुए थे।

- अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल “ गुड्स” (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से “मनी” (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस गैरकानूनी तरीके से नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को ना केवल ब्याज बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।
- इस मामले में छह याचिकाएं दायर करी गई थीं। मुद्दा एक ही था कि जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान गैरकानूनी तरीके से परिसर में पाई गयी नकदी को भी जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त करी, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसे ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था।

इस मामले में छह याचिकाएं एक ही मुद्दे को लेकर दायर की गई थीं कि, जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान परिसर में पाई गयी नकदी को भी गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1

लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसी ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था। इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने

हाईकोर्ट से गुहार की थी कि गैरकानूनी तरीके से जब्त की गई राशि को जीएसटी विभाग न केवल लौटाये, बल्कि जब्त की गई राशि पर ब्याज भी दे और क्षतिपूर्ति भी दे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने सपा के समक्ष 150 सीटों का दावा पेश किया

कांग्रेस इस दावे के बावजूद, किसी भी तरह, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ना ही चाहती है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगले सप्ताह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं, जिनकी बात वह बातचीत के दौरान करेगी। दोनों पार्टियां कई बार कह चुकी हैं कि वे चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहती हैं, लेकिन राज्य की 403 विधानसभा सीटों का बंटवारा दोनों के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन अंतिम समझौते के लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस नेता

- जैसी चर्चा है, यूपी विधानसभा चुनाव संभवतया, फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है।
- कांग्रेस का फोकस दलित व ब्राह्मण वोटर पर रहेगा। हालांकि, मुस्लिम नेताओं को भी अहमियत दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी को व सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के इस प्रयास की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं।

राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, की मंजूरी जरूरी होगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसकी औपचारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है।

दोनों पार्टियां इस संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है कि

उन्हें बड़ी संख्या में सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी तरह की समानांतर तैयारियों के कारण, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से कुछ बयानबाजी भी हुई है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सीटों के बंटवारे की तैयारी के तहत, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को “ए”, “बी” और “सी”- तीन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कोमा में चल रहे कांस्टेबल को वेतन क्यों नहीं दिया’

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल को बीते एक साल से वेतन नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी व भरतपुर एसपी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका की कांपी

- हाई कोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी तथा भरतपुर एसपी से जवाब मांगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिलाते हुए इन अफसरों से पांच अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश पुलिस कांस्टेबल जोगेन्द्र सिंह की पत्नी उषा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति जोगेन्द्र सिंह भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल हैं। वह 18 अगस्त 2024 को कार्य करते समय अचानक अस्वस्थ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उज्जैन में मस्जिद हटाने के विरोध में पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। सोमवार को उज्जैन में उस जगह पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जहां सड़क चौड़ी करने की परियोजना के तहत, शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराया जाना

- शहर काजी ने कहा कि मस्जिद का मुद्दा सुलझ गया है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।

प्रस्तावित है। घटनास्थल के वीडियो से यह जानकारी मिली।

वीडियो में दिखा कि भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

सड़क चौड़ी करने की यह योजना उज्जैन में किए जा रहे बड़े बुनियादी ढांचे के बदलाव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करना है। कुल 272 ढांचों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्रैनी घर का एक हिस्सा भी शामिल है, जिसे गिराने के काम में मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रभारी व सहप्रभारियों की बैठक बुलाई

पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश स्तर के संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नज़दीकी समन्वय स्थापित करना है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही भाजपा को चुनावी रूप से तैयार करने की कोशिश के तहत, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नव नियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक बुलाई है।

भाजपा ने 24 सितंबर को 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावड़े (चार सह-प्रभारियों के साथ), पंजाब के लिए सतीश पुनिया और उत्तराखंड के लिए राम माधव (तमिलनाडु के साथ) जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियां शामिल हैं।

29 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह बैठक इस नई टीम के लिए पहला बड़ा समन्वय कार्यक्रम है और इसका सीधा संबंध इन

- इस बैठक से भाजपा यह संदेश दे रही है कि वह 2027 के चुनावों को, नए राष्ट्रीय नेतृत्व की संगठनात्मक एकता का एक परीक्षण व परीक्षा मान रही है।

संगठनात्मक बदलावों से है। इसका उद्देश्य नबीन के अपेक्षाकृत नए एवं युवा नेतृत्व में, राज्य स्तर के नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है। बैठक का का एजेंडा मुख्य रूप से उन राज्यों पर रहने की उम्मीद है, जहाँ चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसमें बुध स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के साथ तालमेल, उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया और केन्द्र सरकार की योजनाओं को स्थानीय चुनावी संदेश में बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पार्टी जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान को और तेज करके और योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज

को चुनावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाकर, अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर देगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड और पंजाब में मौजूदा जनाधार को मजबूत करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने और पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर विस्तार करने पर जोर रहेगा। 2027 के चुनावी चक्र में जाने वाले अन्य राज्यों के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी।

विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करना भी चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा होगा। पार्टी से ऐसी रणनीति तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को प्रमुखता दी जाएगी, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक नहीं है

आस्ट्रेलिया की सरकार के स्वास्थ्य संबंधित डेटा की एआई द्वारा हुई चोरी के बाद यह तय करना जरूरी हो गया है कि एआई द्वारा लिए गए निर्णयों में अन्ततोगत्वा जवाबदेही किसकी है?

- दूसरे शब्दों में इन एआई मशीनों की पुलिसिंग कौन करेगा?

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, एक देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है।

यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो गया, जब यह सामने आया कि ओपन एआई द्वारा विकसित एक एआई एजेंट ने जून में ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य आंकड़ों वाले पोर्टल तक बिना इजाजत पहुँच बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि एजेंट ने कुछ ऐसी

फाइलों तक पहुँच बनाई जो सार्वजनिक नहीं थीं। हालाँकि अधिकारियों ने जोर देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है।

इस घटना की गंभीरता केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन-सी जानकारी देखी गई। बताया गया है कि एक इंटरनेट रिसर्च कार्य के दौरान काम

कर रहे एआई एजेंट ने अपनी शुरुआती पहुँच की अनुमति दुकुराए जाने के बाद, कुछ प्रतिबंधों को पार कर लिया। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है: तब क्या होगा, जब कोई तेजी से स्वायत्त (ऑटोनॉमस) होता सिस्टम अपने लिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए, जिनका उसके डवलर ऐसे ने इरादा नहीं किया हो?

अब चिंता केवल इस काल्पनिक स्थिति तक सीमित नहीं है कि मशीनें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। इसमें साइबर हमले, गलत जानकारी फैलाना, गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गोरिद्म आधारित भेदभाव और श्रमिकों के विस्थापन की संभावना भी शामिल हैं। तेजी से अधिक स्वायत्त होते सिस्टम के इस्तेमाल ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा तंत्र तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिला सकते हैं। यह उलझन और गहरी होती जा रही है, क्योंकि सरकारें आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एआई का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपरलीक में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ

जयपुर, 28 सितंबर। सीबीआई मामले की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में प्रदीप खींचड़, विनोद कुमार और अशोक कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र

- द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी थी।

लीक होने से समाज और विद्यार्थियों पर विपरीत और गंभीर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।